

नशा मुक्त राजस्थान के लिये मुख्यमंत्री के तीन अहम नरिणय

चर्चा में क्यों?

7 सतिंबर, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोट ने राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिये अहम नरिणय लेते हुए प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग रोकने, नशा पीड़ितों के पुनरवास एवं जनजागरूकता फैलाने सहित विभिन्न कार्यों के लिये 'नशा मुक्त राजस्थान नदिशालय/आयुक्तालय', 'एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ)' तथा 'एंटी नारकोटिक्स यूनिट (एएनयू)' के गठन हेतु परस्तावों को मंजूरी प्रदान की।

प्रमुख बडि

- 'नशा मुक्त राजस्थान नदिशालय/आयुक्तालय'में आयुक्त पदेन शासन सचवि, गृह को नयुक्त कया गया है। इस क्षेत्र में कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतनिधि वि मनोचकितिसक, मनोवजिज्ञानी आदिको सदस्य के रूप में नयुक्त कया जाएगा।
- साथ ही चकितिसा एवं परिवार कल्याण, आबकारी, शकिषा, सामाजकि न्याय एवं अधकिारति, पुलसि वभिग, राज्य वधि विजिज्ञान प्रयोगशाला, सूचना एवं जनसंपर्क नदिशालय के अधकिारी/कर्मचारी शामिल कयि जाएंगे।
- 'एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स'का गठन अतरिकित मुख्य सचवि, गृह की अधयक्षता में कया गया है। इसमें अतरिकित महानदिशक पुलसि, एएनयू को सदस्य सचवि बनाया गया है।
- इस फोर्स में 10 सदस्य होंगे। इनमें स्कूल शकिषा के अतरिकित मुख्य सचवि, चकितिसा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वभिग, सामाजकि न्याय एवं अधकिारति वभिग, कृषि वभिग, आबकारी वभिग एवं उच्च शकिषा वभिग के शासन सचवि और राजस्व आसूचना नदिशालय के अतरिकित महानदिशक, राज्य औषधि नियंत्रक, राज्य वधि विजिज्ञान प्रयोगशाला तथा सूचना एवं जनसंपर्क नदिशालय के नदिशक शामिल हैं।
- टास्क फोर्स, नारको कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) सचविालय के रूप में कार्य करेगी। यह एनसीओआरडी की विभिन्न बैठकों के नरिणयों की क्रयानवति सुनिश्चति करेगी।
- नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ कानून लागू करने के लिये रणनीति, उपाय एवं विभिन्न तरीकों को वकिसति करना, दुरुपयोग को रोकना, पीड़ितों का पुनरवास एवं जागरूकता फैलाने जैसे उद्देश्यों के लिये विभिन्न वभिग, सरकारी एजेंसियों एवं पुलसि ईकाईयों के साथ समन्वय स्थापति कया जाएगा।
- यह फोर्स पुलसि, स्वास्थ्य व अन्य वभिगीय अधकिारियों द्वारा दवाओं की तस्करी में लपित पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना सुनिश्चति करेगी। साथ ही विभिन्न वभिगों द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित आँकड़ों का आकलन कर आवश्यक नीतगित परिवर्तन के लिये राज्य सरकार को सफिरशि करेगी।
- नदिशालय/आयुक्तालय द्वारा नशा नियंत्रण के लिये केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत प्रदत्त वतितीय सहायता हेतु विभिन्न वभिगों की आवश्यकता अनुसार परस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे।
- मादक पदार्थों और नशीली दवाओं की रोकथाम के लिये एसओजी में महानरीक्षक पुलसि की अधयक्षता में 'एंटी नारकोटिक्स यूनिट (एएनयू)' का गठन कया जा रहा है। यह मुख्यतः एंटी नारकोटिक्स एनफोर्समेंट का कार्य करेगी।